

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग



कारखाना (झारखण्ड संशोधन)
विधेयक, 2025

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2025

कारखाना प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कामगारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

यह भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियमित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :-

- (i) यह अधिनियम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63 की धारा 66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) के परंतुक (Proviso) का संशोधन- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा-66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) में विद्यमान:-

“परंतुक राज्य सरकार गजट अधिसूचना के द्वारा इस संदर्भ में किसी कारखाने अथवा समूह अथवा वर्ग के कारखाने के लिये खण्ड (b) में दिये गये अवधि में परिवर्तन कर सकता है लेकिन इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन महिलाओं के नियोजन को रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि हेतु प्राधिकृत नहीं करेगा।”

के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“किसी कारखाना प्रतिष्ठान में नियोजित महिला श्रमिकों को उनकी सहमति (Consent) से संध्या 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक की अवधि में नियोजित किया जा सकेगा, बशर्ते कि सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित ऐसी शर्तें हों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली कोई अन्य शर्त हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।”

उद्देश्य एवं हेतु

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य एवं हेतु झारखण्ड राज्य में रोजगार एवं औद्योगिकरण की तीव्रता प्रदान करना है।

“Ease of Doing Business” के अन्तर्गत कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (b) में संशोधन करते हुए रात्रि पाली में महिला कामगारों को कार्य करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त संशोधन से जहाँ एक तरफ झारखण्ड राज्य में रोजगार एवं औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आयेगी तथा कारखाना प्रबंधनों को अपने उत्पादन के लक्ष्य का निर्धारण कर इसे प्राप्त करने में सुगमता होगी वहीं दूसरी तरफ महिला एवं पुरुष कामगारों के जीवनयापन के समान अवसर प्रदान होंगे।

(संजय प्रसाद यादव)

भार-साधक-सदस्य